6

पत्रांक–2/कोर्ट–22/2023–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक / /2026

विषय : **डा० शीलवंत सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को 281 (दो सौ इक्यासी) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–8889(2)वि० दिनांक–24.12.1986, पत्रांक–1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक- 74(25), दिनांक–12.01.2026 के आलोक में आलोक में डा० शीलवंत सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को अवकाश खाते में संचित 281 (दो सौ इक्यासी) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० शीलवंत सिंह की सेवानिवृत्ति की तिथि–28.02.2023 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० शीलवंत सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के पक्ष में 281 (दो सौ इक्यासी) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक–2/कोर्ट–22/2023– 411(2) पटना, दिनांक 19/2/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० शीलवंत सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त का पत्राचार पता–शारदा नगर, वार्ड नं0–1, चक थाट, थाना–रोसड़ा, जिला– समस्तीपुर, पिन–848210 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट अपलोड करने हेतु प्रेषित।

V.K.P. 18/2/26

सरकार के उप सचिव।

2